

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1247/2024, लखनऊ, दिनांक :: 09.10.2024

संशोधित आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली - 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन
माह नवम्बर, 2024 हेतु आदेश सं0 1196/2024 दिनांक 09.10.2024 द्वारा गठित युगल पीठ
का आंशिक संशोधित कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दि० 04.11.2024 से 07.11.2024	सदस्य पीठ 1, लखनऊ सदस्य, पीठ 3 लखनऊ	न्यायिक विभागीय
2	पीठ सहारनपुर	पीठ सहारनपुर	दि० 25.11.2024 से 28.11.2024	सदस्य पीठ 1, मेरठ सदस्य, पीठ सहारनपुर	न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-09.10.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, मेरठ व पीठ सहारनपुर।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी
मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।